

प्रेस हेतु सामान्य सूचना

राज्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 206/रा०नि०आअनु०-4/न०नि०/2023 दिनांक 09.04.2023 द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी किये जाने के फलस्वरूप जनपद फर्रुखाबाद में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य पद पर निर्वाचन से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्यक्रम:-

क्र० सं०	निर्वाचन कार्यक्रम	दिनांक (द्वितीय चरण)	समय
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
2	जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक	16.04.2023 (रविवार)	—
3	निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक	17.04.2023 (सोमवार)	—
4	नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का दिनांक	17.04.2023 से 24.04.2023 (सोमवार)	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
5	नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का दिनांक	25.04.2023 (मंगलवार)	पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक
6	अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक	27.04.2023 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
7	प्रतीक आवंटन का दिनांक	28.04.2023 (शुक्रवार)	पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक
8	मतदान का दिनांक	11.05.2023 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक
9	मतगणना का दिनांक	13.05.2023 (शनिवार)	पूर्वाह्न 8:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक

- 1— जनपद में 02 नगर पालिका परिषद एवं 07 नगर पंचायत के अन्तर्गत कुल 170 वार्ड हैं।
- 2— जनपद में 02 नगर पालिका/07 नगर पंचायतों के अन्तर्गत कुल 167 मतदान केन्द्र एवं 483 मतदेय स्थल हैं जिसमें कुल 3,99,510 मतदाता दर्ज हैं।
- 3— 02 नगर पालिका परिषद हेतु एवं 07 नगर पंचायत के **अध्यक्ष पद** के निर्वाचन हेतु 09 निर्वाचन अधिकारी तथा 10 सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
- 4— 02 नगर पालिका परिषद हेतु एवं 07 नगर पंचायत के **सदस्य पद** के निर्वाचन हेतु 20 निर्वाचन अधिकारी तथा 40 सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
- 5— जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन कराये जाने हेतु 10 स्थायी निगरानी टीम तथा 10 उड़नदस्ता टीमें नियुक्त की गयी हैं।

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष /सदस्य पद पर निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों के लिये आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार हैं :-

(I) उम्मीदवारी हेतु अर्हताएँ :-

क्र० स०	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	सदस्य नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
1	सम्बन्धित नगर निकाय का निर्वाचक हो	सम्बन्धित नगर निकाय का निर्वाचक हो
2	30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। धारा-43-कक(1)(ख)	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। धारा-13-ग (ग)

नोट :- एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) से सदस्य पद हेतु निर्वाचन नहीं लड़ सकता है।

(II) नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा :-

विभिन्न पदों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित है :-

क्र० स०	पदाधिकारी	नाम निर्देशन पत्र का मूल्य (रु०)	जमानत की धनराशि (रु०)	अधिकतम व्यय सीमा (रु०)
1	महापौर, नगर निगम	1000.00	12000.00	35,00,000 (80 से कम वार्ड के लिए) 40,00,000 (80 या उससे अधिक वार्ड के लिए)
2	पार्षद, नगर निगम	400.00	2500.00	2,00,000
3	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद	500.00	8000.00	9,00,000 (25-40 वार्ड हेतु) 12,00,000 (41-55 वार्ड हेतु)
4	सदस्य, नगर पालिका परिषद	200.00	2000.00	2,00,000
5	अध्यक्ष, नगर पंचायत	250.00	5000.00	2,50,000
6	सदस्य, नगर पंचायत	100.00	2000.00	50,000